

भाग-III

जागर बैण्ड से भागादेवली मोटर मार्ग
लम्बाई- 3.00 कि०मी०
(प्रस्ताव संख्या 11625/2015)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	नहीं
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हाँ सहमत
3. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक विभाग द्वारा प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के बांज वृक्षों का प्रत्यारोपण सुरक्षित स्थल में किया जायेगा व इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।

दिनांक 14-07-2016
स्थान-नैनीताल

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल